

स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर  
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)  
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stplsg407@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in  
क्रमांक F.59.STP/DLB/सामान्य आदेश (862)/19/2779

दिनांक:- 14.12.2020

आदेश

प्रायः देखा गया है कि राज्य के नगरीय निकायों से निदेशालय में प्रेषित पत्रावलियों से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणी/नोट/प्रमाणिकरण/पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों पर केवल हस्ताक्षर अंकित होते हैं, पूरा नाम, पदनाम व दिनांक अंकित नहीं होते हैं, जो कि राजकीय कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति उदासीनता प्रकट करता है एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र प्रसु/अनु.-1/2012 दिनांक 27.06.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.03.2012, 21.02.2013, 24.05.2013 एवं 18.03.2016 की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परीपेक्ष में एतद्वारा राज्य के सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है, कि भविष्य में निदेशालय व अन्य विभागों को पत्राचार करते समय की गई टिप्पणी/नोट/प्रमाणिकरण/पत्रों व अन्य दस्तावेजों पर पूरा नाम, पदनाम व दिनांक अवश्य रूप से अंकित किये जाने की सुनिश्चितता की जाए।

उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें।


  
(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं पदेन विशिष्ट सचिव

क्रमांक F.59.STP/DLB/सामान्य आदेश (862)/19/2780-2786  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :

दिनांक:- 14.12.2020

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर/भरतपुर।
3. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।  
जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को आदेश की पालना सुनिश्चित करवायें।
4. आयुक्त, नगर परिषद, समस्त।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
6. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

  
14/12/2020  
विशेष नगर नियोजक  
राजपाल चौधरी  
उप नगर नियोजक